**मेहताब एस. गिल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, , न्यायमूर्ति** *के समक्ष*

**नागेश कुमार,-याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी**

**सी.डब्ल्यू.पी. 2007 की संख्या 8102**

**5 सितम्बर 2008**

भारत का संविधान, 195बी-अनुच्छेद। 226 और 311(2)(बी)—ऑडी अल्ट्रम पार्टेम के सिद्धांत—कला के प्रावधानों को लागू करके सेवाओं की समाप्ति। 31192)(बी) -याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठा शपथ पत्र और अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आरोप -जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की -सरकार ने याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया - याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा समाप्त कर रही है याचिकाकर्ता की सेवाएं- प्रतिवादी कला में निहित प्रावधानों को लागू करने का औचित्य दर्शाने वाला रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे। 311(2) परंतुक (बी)—नियुक्ति प्राधिकारी कला के प्रावधानों को गलत ढंग से पढ़ रहा है और उनका गलत अर्थ निकाल रहा है। 311(2)(बी)—जांच न करने का कोई कारण नहीं बताया गया—याचिका स्वीकार की गई, याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि 'ऑडी अल्टर्म पार्टम' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, दोषी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच एक नियम है जिसमें उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है। इस सामान्य सिद्धांत का अपवाद अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औपचारिक

जांच से मुक्ति है। अनुच्छेद 311(12) के तहत प्रदत्त जांच का संवैधानिक अधिकार संविधान में प्रदान की गई जांच से छूट की आवश्यकता को पूरा किए बिना छीना नहीं जा सकता है। किसी दोषी कर्मचारी को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार को हल्के में या मनमाने ढंग से या गुप्त उद्देश्य से या केवल जांच से बचने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। जो प्रावधान सामान्य नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं, उन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल और केवल जब संविधान के सख्त सिद्धांतों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है और पूरा किया जाता है, तो किसी अपवाद को उचित ठहराया जा सकता है, ऐसा न होने पर, ऐसी असाधारण शक्तियों को रास्ता देने की आवश्यकता होती है सामान्य सिद्धांत के लिए.

**(पैरा 18)**

इसके अलावा, अभिनिर्धारित किया गया 24 अप्रैल, 2007 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद ने संविधान के अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत पढ़ा है और गलत व्याख्या की है। आदेश में जो कहा गया है वह यह है कि "...इस मामले में नियमित जांच की कोई आवश्यकता नहीं है..." जो कि संविधान के प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना है। अनुच्छेद 311 (2)(बी) के तहत जो आवश्यक है वह स्थिति या निष्कर्ष नहीं है कि नियमित जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता यह है कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। अनुच्छेद 311 के खंड (2) के तहत आवश्यक जांच करें। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि कोई भी कारण सामने नहीं आ रहा है जो जांच करने से छूट देने के लिए प्राधिकरण की संतुष्टि को दर्शाता हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि प्राधिकरण संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के तहत सौंपी गई शक्तियों के संबंध में पूरी

तरह से गलत धारणा पर आगे बढ़ा है। इसलिए, विवादित आदेश शून्य और असंवैधानिक होने के कारण कायम नहीं रह सकता।

**नागेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 301**

**(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति .)**

**(पैरा 19)**

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के वकील और परवीन कुमार रोहिल्ला।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

**ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति.**

(1) इस निर्णय के द्वारा, हम 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 8102 और सी.डब्ल्यू.पी. का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं। 2007 की संख्या 8133 कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न के रूप में इसमें शामिल है। सुविधा के लिए, तथ्यों को 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 8102 से लिया जा रहा है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका नागेश कुमार द्वारा दायर की गई है, जो हरियाणा रोडवेज, जींद में कंडक्टर के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने 24 अप्रैल, 2007 के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करने की मांग की थी। अनुबंध पी-5), - जिसके तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) के प्रावधानों

को लागू करके उसे अपना बचाव करने या कोई नियमित जांच करने का अवसर दिए बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(3) संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 17 जून 1994 को अनुबंध के आधार पर कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी उस अवधि के दौरान जब परिवहन विभाग के नियमित कर्मचारी हड़ताल पर थे। इसके बाद, परिवहन विभाग ने एक नीति बनाई जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं को 28 जुलाई, 2004 के पत्र के माध्यम से 20 अगस्त, 2000 से कंडक्टर के पद पर नियमित कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि और याचिकाकर्ता का आचरण सदैव संतोषजनक रहा। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता और छह अन्य कंडक्टरों ने अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए कार्यालय अधीक्षक से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने रुपये की मांग की। उनसे 50,000 रु. इसके बाद, 3 फरवरी, 2001 को, मुख्यमंत्री, हरियाणा के खुले दरबार में अधीक्षक, जोगी राम के खिलाफ एक शपथ पत्र के साथ एक औपचारिक शिकायत की गई, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने रुपये दिए थे। अन्य कंडक्टरों के साथ उनके नियमितीकरण के लिए 20 अप्रैल, 2000 को 50,000 रु. आगे यह भी कहा गया है कि उक्त अधीक्षक ने उक्त मांग को पूरा नहीं करने पर उनकी सेवाएं समाप्त करने की कई धमकियां भी दी थीं। ऐसे में इन छह कंडक्टरों ने अपने नियमितीकरण के लिए राशि का भुगतान कर दिया है. इसके आधार पर, जिला शिकायत समिति ने 15 मार्च, 2001 को मामला दर्ज किया और जांच करने के बाद आरआई.आर. का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। नंबर 125 दिनांक 28 मार्च 2001 को धारा 420/406आईपीसी के तहत जोगी राम, अधीक्षक के खिलाफ पुलिस स्टेशन जींद में मामला दर्ज किया गया था। जोगी राम को 20 अप्रैल, 2001 को गिरफ्तार किया गया और 21 अप्रैल, 2001 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(4) जोगी राम, अधीक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच की गई। उक्त पूछताछ में, याचिकाकर्ता ने बयान दिया, और एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया कि 3 फरवरी, 2001 की शिकायत कुछ गलतफहमी के कारण दी गई थी और कहा गया था कि जोगी राम, अधीक्षक ने उससे कोई रिश्वत नहीं ली थी। उक्त बयान और याचिकाकर्ता और अन्य कंडक्टरों द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर, जांच अधिकारी ने जोगी राम, अधीक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं किया, बल्कि यह माना कि पनी सिंह और याचिकाकर्ता नागेश कुमार द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे थे। . जांच अधिकारी ने आगे निष्कर्ष निकाला कि या तो उन्होंने झूठी शिकायत की थी और झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया था या जांच अधिकारी के समक्ष उनके द्वारा दिए गए बयान झूठे और निराधार थे। इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

(5) इसके बाद, जोगी राम, अधीक्षक के खिलाफ झूठा हलफनामा और शिकायत दर्ज करने के संबंध में मुख्य प्रशासन, हरियाणा राज्य परिवहन, जींद के कार्यालय द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2006 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था। फिर उसे आरोपों से मुक्त कराने के इरादे से जांच अधिकारी के सामने अपने बयान बदल दिए। आरोपों का जवाब दें. उक्त नोटिस का उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा भेजा गया था, - पत्र दिनांक 13 नवंबर, 2006 के माध्यम से जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। यह स्पष्टीकरण मुख्य प्रशासन, हरियाणा राज्य परिवहन, जींद द्वारा परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ को ज्ञापन, दिनांक 1 दिसंबर, 2006 को भेजा गया था। उक्त स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , परिवहन विभाग, - आदेश दिनांक 5 मार्च, 2007 द्वारा परिवहन आयुक्त, चंडीगढ़ को नागेश कुमार (याचिकाकर्ता) और पनी सिंह, कंडक्टरों द्वारा की गई

स्वीकारोक्ति के संबंध में लिखा गया कि उन्होंने झूठे शपथ पत्र दिए थे और जोगी के खिलाफ झूठी शिकायतें की थीं। राम, तत्कालीन अधीक्षक, महाप्रबंधक कार्यालय, हरियाणा रोडवेज, जींद।

**नागेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 303**

**(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति.)**

(6) उक्त ज्ञापन नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

"एस सबब:- श्री जोगी राम, तत्कालीन अधीक्षक के मामले में श्री नागेश कुमार, कंडक्टर नंबर 248, हरियाणा रोडवेज, जींद और पन्नी सिंह, कंडक्टर नंबर 26, एच.आर. झज्जर डिपो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई।" ओ/ओ जी.एम. एच.आर.जींद।

ऊपर उल्लिखित विषय पर अपने मेमो नंबर 12021 /ईए-3/ई-आई, दिनांक 19 दिसंबर, 2006 का संदर्भ लें।

2. यह सूचित किया जाता है कि श्री नागेश कुमार और पन्नी सिंह, कंडक्टरों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद के तत्कालीन अधीक्षक कार्यालय श्री जोगी राम के खिलाफ झूठे शपथ पत्र/शिकायतें दी हैं। पूरे मामले पर विचार के बाद सरकार ने तत्काल सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है. अत: आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तदनुसार कार्रवाई करें।

**(एसडी.) . . .,**
**अधीक्षक परिवहन-द्वितीय,**
**वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के लिए।**
**परिवहन विभाग।"**

(7) उक्त ज्ञापन दिनांक 5 मार्च, 2007 के आधार पर, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद ने 24 अप्रैल, 2007 को एक आदेश पारित किया, जिसका ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है: -

**"xxxx xxxx xxxx**

> मैंने शपथ पत्र, शिकायत, जांच रिपोर्ट और मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड की जांच की और उसका अध्ययन करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में नियमित जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्री जोगी राम, अधीक्षक की जांच को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि श्री नागेश कुमार, कंडक्टर का व्यवहार एवं आचरण सरकारी सेवा में बनाये रखने योग्य नहीं है। उनका आचरण असंतोषजनक है और उनका आचरण ईमानदारी और कर्तव्यों के पालन को प्रदर्शित नहीं करता है। ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवा में बनाये रखने योग्य नहीं हैं। इसलिए, मैंने अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया।
>
> **(एसडी.) . . .,**
> **महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज,जींद।**
> **दिनांक: 24-4-2007"**

(8) उपरोक्त के आधार पर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसे ऑडी अल्टरम पार्टम के अधिकार से वंचित किया गया है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति की बिना सुने निंदा नहीं की जानी चाहिए और याचिकाकर्ता के मामले में वास्तव में यही हुआ है। नियुक्ति प्राधिकारी ने बिना अपना दिमाग लगाए या याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना, उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) के

प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता पूरी नहीं की गई है और नियुक्ति प्राधिकारी के पास विभागीय जांच आयोजित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। यह संभव नहीं था और इसका वितरण या तो सार्वजनिक नीति के आधार पर सार्वजनिक हित में था या सार्वजनिक भलाई के लिए था।

**नागेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 305**

**{ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति .)**

(9) इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर, उत्तरदाताओं की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें ऊपर वर्णित तथ्यों पर विवाद नहीं किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया एकमात्र औचित्य मामले के गुण-दोष के संबंध में है। यह तर्क दिया गया है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना गया है कि जोगी राम, अधीक्षक अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं हैं क्योंकि नागेश कुमार (याचिकाकर्ता) और पानी सिंह, कंडक्टर द्वारा दिए गए बयान की सामग्री से मेल नहीं खाते हैं। शिकायत और उनके द्वारा पहले दिया गया शपथ पत्र। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता और पनी सिंह, कंडक्टरों को दोषी ठहराया है और झूठे आरोप लगाने वाले ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके ताकि वे भविष्य में इस तरह की झूठी गवाही देना बंद कर दें।

(10) जांच अधिकारी की रिपोर्ट के संबंध में, याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया था और उस पर विचार करते हुए, 5 मार्च, 2007 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें पूरे मामले पर विचार करने के बाद, सरकार ने उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त करने का निर्णय लिया और प्रतिवादी नंबर 3-यूनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, जींद, हलफनामे, शिकायत, जांच रिपोर्ट और केस

फाइल की सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामले में नियमित जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह साबित हो चुका है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता का व्यवहार और आचरण अच्छा नहीं था और इस प्रकार वह सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं था। दरअसल, उनका आचरण कर्तव्यों के पालन में ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं करते हुए असंतोषजनक पाया गया।

(11) जब जवाब का अध्ययन किया गया, तो यह कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों उत्तरदाताओं ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) प्रावधान (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच करने से छूट देने का फैसला किया और न ही ऐसा किया है। कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है जो अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) में निहित प्रावधानों को लागू करने को उचित ठहराएगा।

(12) हमने दोनों पक्षों के वकील सुने हैं।

(13) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि आक्षेपित आदेश के अवलोकन से किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप यह राय बनती है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था और न ही आदेश इस बात का खुलासा करता है कि किस तरह की याचिकाकर्ता द्वारा की गई गतिविधियों ने अधिकारियों को उसके खिलाफ विभागीय जांच करने से रोक दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्हें अपनी बात रखने और अपने बचाव को प्रमाणित करने का कोई अवसर दिए बिना अनसुनी कर दी गई, क्योंकि विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। उत्तरदाताओं के वकील रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) परंतुक (बी) को लागू करने को प्रमाणित या उचित ठहरा सके।

(14) अनुच्छेद 311(2)(बी) इस प्रकार है:-

311. **संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी.**- (1) कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या सिविल सेवा का सदस्य नहीं है किसी राज्य या संघ या राज्य के अधीन कोई नागरिक पद धारण करने वाले को उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटा दिया जाएगा जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था।

(2) उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को उस जांच के अलावा बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

xxxx xxxx

बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा-

xxxx xxxx

(बी) जहां किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या रैंक में कमी करने का अधिकार प्राप्त प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से, उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर, ऐसी जांच करना उचित व्यावहारिक नहीं है;

xxxx xxxx

**(ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति .)**

(15) उक्त सामान्य नियम का अपवाद परंतुक (ए), (बी) और (सी) में है। प्रावधान (ए) और (सी) वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे और इसलिए प्रासंगिक प्रावधान प्रावधान (बी) है।

(16) अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) को लागू करने की आवश्यकताएं हैं:-

(i) किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या पद से कम करने का अधिकार प्राप्त प्राधिकारी को पहले उन कारणों से संतुष्ट होना चाहिए कि जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, जैसा कि खंड 2 में परिकल्पित है; और

(ii) ऐसे कारणों को प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जो किसी व्यक्ति को पद से बर्खास्त करने या हटाने या कम करने का अधिकार रखता है।

(17) अत: परंतुक (बी) के तहत संतुष्टि की रिकॉर्डिंग आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच उचित रूप से व्यावहारिक नहीं होने के कारण नहीं की जा सकती है और ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो जांच को उचित रूप से व्यावहारिक नहीं बनाती है। वह चरण जब अनुच्छेद 311 (2) परंतुक (बी) के तहत आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है। परंतुक (बी) के वैध आवेदन के लिए आवश्यक दूसरी शर्त यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि के लिए लिखित रूप में अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए कि अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। यदि जांच के आयोजन के संबंध में ऐसी स्थिति उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, मौजूद नहीं है या यदि ऐसा कारण लिखित रूप में दर्ज

नहीं किया गया है, तो जांच से छूट देने का आदेश और उसके बाद दंड का आदेश दोनों शून्य और असंवैधानिक होगा। इस प्रकार, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त दो शर्तें जुर्माना लगाने के आदेश से पहले होनी चाहिए।

(18) ऑडी अल्ट्रम पार्टम के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, दोषी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच एक नियम है जिसमें उसे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए अपना बचाव करने का पूरा मौका दिया जाता है। इस सामान्य सिद्धांत का अपवाद अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औपचारिक जांच से मुक्ति है। अनुच्छेद 311(2) के तहत प्रदत्त जांच का संवैधानिक अधिकार संविधान में प्रदान की गई जांच से छूट की आवश्यकता को पूरा किए बिना छीना नहीं जा सकता है। किसी दोषी कर्मचारी को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार को हल्के में या मनमाने ढंग से या गुप्त उद्देश्य से या केवल जांच से बचने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। जो प्रावधान सामान्य नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं, उन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल जब संविधान के सख्त सिद्धांतों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है और पूरा किया जाता है, तो अपवाद को उचित ठहराया जा सकता है, ऐसा न होने पर, ऐसी असाधारण शक्तियों को रास्ता देने की आवश्यकता होती है। सामान्य सिद्धांत।

308 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2008(2)

(19) आक्षेपित आदेश, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी-5) के अवलोकन से पता चलता है कि महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद ने अनुच्छेद 311(2) परंतुक (बी) के प्रावधानों को पूरी तरह से गलत पढ़ा है और गलत व्याख्या की है। संविधान। आदेश में जो कहा गया है वह यह है कि "...इस मामले में नियमित जांच की कोई आवश्यकता नहीं है..." जो कि संविधान के

प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना है। अनुच्छेद 311 (2)(बी) के तहत जो आवश्यक है वह स्थिति या निष्कर्ष नहीं है कि नियमित जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता यह है कि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, यह उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है। अनुच्छेद 311 के खंड (2) के तहत आवश्यक जांच करें। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि कोई भी कारण सामने नहीं आ रहा है जो जांच करने से छूट देने के लिए प्राधिकरण की संतुष्टि को दर्शाता हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि प्राधिकरण संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के तहत सौंपी गई शक्तियों के संबंध में पूरी तरह से गलत धारणा पर आगे बढ़ा है। इसलिए विवादित आदेश शून्य और असंवैधानिक होने के कारण कायम नहीं रह सकता।

(20) अलग होने से पहले, हम यहां यह बताना चाहेंगे कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, प्राधिकरण को उस क़ानून के प्रावधानों का अध्ययन करना चाहिए जिसके तहत वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकरण को शक्तियों के ऐसे प्रयोग के दायरे, गंभीरता, प्रभाव और परिणाम को समझना चाहिए। हालाँकि, हमने पिछले पैराग्राफ में प्राधिकरण द्वारा विवेक के प्रयोग के संबंध में एक टिप्पणी की है, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ आगे बढ़ने से परहेज करते हैं जिसने उक्त आदेश पारित किया था। हालाँकि, उत्तरदाताओं को सावधानी का एक शब्द दिया जाता है कि वे क़ानून के प्रावधानों और आवश्यकताओं का वास्तव में अनुपालन किए बिना आदेश पारित करते समय सावधान और सतर्क रहें, जिसके तहत उनके द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है।



**(एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति .)**

(21) परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद द्वारा पारित आदेश, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 (अनुलग्नक पी-5) को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा में बहाल किया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से कथित कदाचार के लिए उसके खिलाफ नियमित विभागीय जांच करने का निर्णय लेने के लिए उत्तरदाताओं को स्वतंत्रता दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा

---

**आर.एन.आर.**